न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 37/2024 तारीख रजू :– 20.03.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

धीरज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उम्र 53 वर्ष, जाति जैन, निवासी दौसा रोड एसबीआई बैंक के पास, बजरिया सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स जैन ट्रेडर्स, ईएसआई डिस्पेन्सरी के सामने, बजरिया सवाई माधोपुर 322001

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 व 54

निर्णय दिनांक 05/07/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 ;पपद्ध के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध के अन्तर्गत दिनांक 13-10-2023 को 02-00 पी.एम पर मैसरी जैन ट्रेडर्स, ईएसआई डिस्पेन्सरी के सामने बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड व अनुज्ञापत्र पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की ।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Paneer (loose) विक्रय हेतु रखा हुआ था। Paneer (loose) में मिलावट का अंदेशा होने पर Paneer (loose) 01 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 240/– रुपये विक्रेता श्री धीरज कुमार जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता धीरज कुमार जैन के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान डॉ. धर्म सिंह मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

माधोपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं धर्मराज तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री धीरज कुमार जैन ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री धीरज कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम Paneer (loose) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Paneer (loose) को प्रत्येक बोतल मे बराबर बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H-3042 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच 3042 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छ प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की ।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1084 दिनांक 27-10-2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4177/एक्ट/2023/4249 दिनांक 20-10-2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Paneer (loose) Substandard as it does not conform to the standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation- 2011. The Sample is also food

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act 2006 होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/198 दिनांक 19/3/24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस मे धीरज कुमार जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन उम्र 53 वर्ष, जाति जैन, निवासी दौसा रोड, एसबीआई बैंक के पास, बजरिया सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स जैन ट्रेडर्स, ईएसआई डिस्पेन्सरी के सामने, बजरिया सवाई माधोपुर 322001 द्वारा Substandard & extraneous matter (foreign fat), Paneer (loose) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 मे निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री धर्मचन्द जैन एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए हैं कि विकेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड) प्रकृति की **खाद्य वस्तु** Paneer (loose) का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जुर्म स्वीकार करते हुए उनके पक्षकार द्वारा भविष्य में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु कथन किया गया। पुनःश्च वकील प्रार्थी द्वारा कथन करते हुए प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज0, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4177/एक्ट/2023/4249 दिनांक 20-10-2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Substandard & extraneous matter (foreign fat), Paneer (loose) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मानक नियम, 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्राविधित है।

अतः Substandard & extraneous matter (foreign fat), Paneer (loose) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Paneer (loose)का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **10,000/–**रू0 (अक्षरे **दस हजार रूपये**) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विक्रय करें तथा वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक–एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/07/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर